गोपनीय

सं0 सी–13016/7/2014–सतर्कता
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
*****

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा अनुसरण किए जानेवाले लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा(पीआइडीपीआई) संकल्प के अन्तर्गत शिकायतों के संचालन की प्रक्रिया।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16/6/2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.371/4/2013–एवीडी–।।। का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसार श्री ए.सी. पाण्डे, संयुक्त सचिव एवं केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा(पीआइडीपीआई) संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में नामित प्राधिकारी होंगे। नामित प्राधिकारी ने श्री के.एम.एस. खालसा, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को पीआइडीपीआई संकल्प के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में शिकायत प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया है।

. यह संयुक्त सचिव एवं केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

2/8/14

(के. एम. एस. खालसा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23711582

प्रतिलिपि :–

1. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय/मुख्य श्रम आयुक्त(के0) का कार्यालय/डीजीफासली/डीजीएमएस/श्रम ब्यूरो.
2. मुख्य सचिवालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग.
3. एनआइसी–श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से यह अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन संख्या एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 371/4/2013–एवीडी–।।। दिनांक 16/6/2014 को अनुलग्नक के साथ इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।